


<p>तारीख हुक्म</p>	<p><i>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</i></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17.08.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ/1-(02)2019/509 दिनांक 03.08.2023 से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता के नवीन विभाजन अनुसार हस्तगत प्रकरण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में न्यायालय हाजा स्तर से कार्यवाही समाप्त की जाकर पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा को अंतरित की जाती है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे। पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा को भिजवाई जावे।</p> <div data-bbox="375 981 454 1064" style="text-align: center;">  </div>	